न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर)

अपील संख्या :-145/2015/223 (2015/00089)

1. अमरचन्द पुत्र गोपी, जाति जाट, निवासी ग्राम नंवा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट्स

बनाम

1. हनुमान पुत्र रामा,
2. मु0 रामेश्वरी बेवा रामा,
3. भंवरी बेवा गोपी,
4. नेमीचंद पुत्र गोपी,
5. धर्मीचंद पुत्र गोपी,
   समस्त जाति जाट, नि0 नवां, तह0 रूपनगढ, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़ ।
7. मैनेजर, एस0बी0बी0जे0 शाखा, रूपनगढ़ ।

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 16.4.2015 अंतर्गत वाद संख्या 2/2015.

उपस्थितः-

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 6.
4. रेस्पो0 संख्या 7 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः–29.11.2017

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.4.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 272/2 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 304 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 305 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 305/1 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नंबर 412 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा कुल रकबा 20-11-00 बीघा भूमि ग्राम नवां में स्थित है जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा निहित है, मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक रूप से बंटवारा कर अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि संयुक्त रूप से खातेदारी में चली आ रही है जिसका विधिक बंटवारा नहीं हुआ है । अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे । अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज कर दिनांक 16.4.2015 को प्राथमिक डिक्री पारित कर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि के अनुसार मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा करने हेतु तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधि विधान एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 में वादीगण द्वारा दिनांक 13.1.2015 को वाद प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात् वाद पत्र को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण/अपीलांटस को नोटिस जारी किए गए तथा आगामी पेशी दिनांक 29.1.2015 नियत की गई, आगामी पेशी दिनांक 29.1.2015 को पीठासीन अधिकारी दौरे पर होने से पेशी तब्दील करते हुए दिनांक 19.2.2015 नियत की गई । दिनांक 19.2.2015 को प्रतिवादी/अपीलांट की और से अभिभाषक अधी0न्याया0 में उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु अवसर चाहा गया जिस पर

पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 16.4.2015 को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु नियत की गई, किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त दिनांक को अपीलांट/प्रतिवादी को जवाब एवं साक्ष्य व सुनवाई का बगैर समुचित अवसर प्रदान किये अत्यधिक जल्दबाजी में वादी के वाद मे प्राथमिक डिक्री जारी की गई जो विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि 16.4.2015 को पत्रावली वास्ते जवाब हेतु नियत थी तथा जवाब दावा बाबत् अवसर बंद करने या नहीं करने बाबत् भी अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में कोई कारण अंकित नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जल्दबाजी में वादी/रेस्पो0 के वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की है जो विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री में अंकित विवादित आराजी की आगामी पेशी तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये थे । न्यायालय हाजा के उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा मान0 राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर मान0 मण्डल ने आदेश दिनांक 4.7.2017 को न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 8.5.2015 की पालना व प्रभाव को स्थगित कर दिया था । मण्डल के उक्त स्थगन आदेश की आड़ में रेस्पो0 ने बदनियति पूर्वक विवादित आराजी का बैचान कर दिया । बहस में वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि मान0 मण्डल के आदेश को मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दिये जाने पर मान0 राज0 उच्च न्यायालय ने मान0 मण्डल के आदेश को अपास्त किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.4.2015 को अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित भूमि में अपीलांट एवं वादी/रेस्पो0 का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है । मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मौखिक बंटवारा कर बंटवारे अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । अधी0न्याया0 में प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वाद में वादी का 1/2 तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्से बाबत् पक्षकारान के काबिज अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की है । अपीलांट को यदि प्राथमिक डिक्री से कोई आपत्ति थी तो वे अंतिम डिक्री पारित करते समय आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते थे किन्तु अपीलांट/प्रतिवादी ने वाद को लंबित करने की नियत से वाद में जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है । विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने बहस में यह भी कथन किया कि विवादित भूमि बाबत् पक्षकारान के मध्य मौखिक बंटवारा हो चुका है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है, इसलिये वाद में प्रतिवादी के जवाबदावे की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पक्षकारान मौखिक बंटवारे के अनुसार जिस जगह पर काबिज काश्त है उसी अनुसार बंटवारा के डिक्री पारित किया जानी थी । अधी0न्याया0

का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 की बहस पर मनन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत दिनांक 13.1.2015 को प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने उक्त दिनांक को वाद दर्ज रजिस्टर कर, प्रतिवादीगण को तलब किये जाने के आदेश जारी कर आगामी पेशी दिनांक 29.1.2015 को नियत की गई परन्तु पेशी दिनांक 29.1.2015 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.2.2015 नियत की गई । आगामी पेशी दिनांक 19.2.2015 की आदेशिका अनुसार उक्त दिनांक को प्रतिवादीगण की और से वकील श्री महेश मालाकार ने उपस्थित होकर जवाबदावा हेतु समय चाहा जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा वाद में आगामी पेशी दिनांक 16.4.2015 नियत की गई । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 16.4.2015 में यह अंकित है कि "पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष के वकील उपस्थित । वकील बहस सुनी गई । तदनुसार दावा में अंकित खसरा नंबर पर प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली वास्ते कमिश्नरी रिपोर्ट हेतु दिनांक 11.6.2015 को पेश हो ।" अधी0न्याया0 की उक्त आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/अपीलांट को वाद में जवाब एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर जल्दबाजी में प्राथमिक डिक्री पारित की है जो निश्चित रूप से विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद/प्रकरण को निर्णित करने से पूर्व प्रतिवादी को जवाब एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर वादपत्र एवं जवाब दावा के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के क्रम में वाद को निर्णित करना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक प्रक्रिया उल्लघंन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत् नहीं होने के कारण अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.4. 2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:<u>क्रियात्मक आदेशः</u>–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 145/2015 (2015/00089) बउनवानी अमरचन्द बनाम हनुमान को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री

दिनांक 16.4.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अधी0न्याया0 प्रतिवादी/अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को तीन माह की अवधि में पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 29.11.2017 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर